



जनपद हमीरपुर

कोतवाली नगर

दिनांक 26.09.2026

कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 210/2026 धारा 204/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/308(4)/(3)(5) BNS बीएनएस कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित 04 वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.09.2026 को वादी श्री गंगाचरन राजपूत पूर्व सांसद द्वारा वाहन, जिसमें राठ तिराहा हमीरपुर उनका किचन का सामान लखनऊ से लोड होकर जनपद हमीरपुर होते हुए चरखारी महोबा जा रहा था, हमीरपुर के बाइपास गोल चक्कर के पास समय करीब 8.00 बजे सुबह अज्ञात द्वारा फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर उक्त गाड़ी को रोककर गाड़ी चालक से 50,000 रुपये की मांग करना एवं उसको धमकाकर उसकी जेब में रखे हुए 11000 रु छीन लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 210/26 धारा 204/309(4)/351(3) थाना कोतवाली नगर हमीरपुर में पंजीकृत कराया गया ।



पुलिस कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक महोदय व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कोतवाली नगर हमीरपुर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत मु0अ0सं0 210/2026 धारा 204/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/308(4)/(3)(5) BNS थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. भोला यादव उर्फ सनी पुत्र दूधनाथ यादव उम्र 25 वर्ष निवासी मो0 कोइंदी गोसांई पट्टी थाना तंपुहीराज जिला कुशीनगर 2. अमन यादव पुत्र शेषनाथ यादव उम्र करीब 19 वर्ष निवासी उपरोक्त 3. महेश पाण्डेय पुत्र स्व0 भागवत प्रसाद पाण्डेय निवासी लालकुआं सफदलबाग चारबाग लखनऊ 4. दिनेश सिंह पुत्र योगेन्द्र प्रताप सिंह उम्र 48 वर्ष निवासी रूपपुर शिवनगर खदरा थाना हसनगंज जनपद लखनऊ को आज दिनांक 26.09.2026 को समय 15.20 बजे पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय चालान किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 210/2026 धारा 204/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/308(4)/(3)(5) बीएनएस

गिरफ्तारी का स्थान-

कीरतपुर थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

1. जीएसटी अधिकारी का एक फर्जी पहचान पत्र व एक अदद मोबाइल वीवो कम्पनी मय सिम कार्ड के व एक अदद सिम कार्ड VI कंपनी – अभि0 भोला यादव उर्फ सनी पुत्र दूधनाथ
2. जीएसटी अधिकारी का एक फर्जी पहचान पत्र – अभियुक्त अमन यादव पुत्र शेषनाथ यादव
3. एक अदद मोबाइल वीवो कम्पनी मय सिम – अभियुक्त महेश पाण्डेय पुत्र स्व0 भागवत प्रसाद पाण्डेय।

घटना का विवरण-

घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तगण से पूछताछ एवं विवेचना में घटना के खुलासे में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त भोला उपरोक्त अपने साथी कृष्णा और अपने सगे भाई सागर के साथ मिलकर बिहार बार्डर से जीएसटी चोरी करने के लिए ट्रकों को चोरी छिपे पास कराते थे, बार्डर पर सख्ती के कारण उक्त लोग ढाबे और होटलों पर रुके हुए ट्रक ड्राइवर एवं ट्रक मालिकों से साझ करके अपने पास फर्जी जीएसटी अधिकारी का परिचय पत्र रखकर गाड़ी पकड़कर लोगों से अवैध वसूली करने का काम करने लगे। इसी क्रम में ट्रक मालिक उपरोक्त घटना में बर्तन ले जा रहे ट्रक नं0 UP32EN3775 के मालिक महेश पाण्डेय व ड्राइवर दिनेश सिंह से साझ कर हमीरपुर के आस पास पहुंचकर ट्रक में लदे माल को भेजने वाले मालस्वामी सुरेश चन्द्र को ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक द्वारा ईवी बिल और टैक्स इनवाइस भेजकर भोला, कृष्णा और सागर के द्वारा अपने आपको जीएसटी अधिकारी हर्षित कुमार कानपुर मण्डल बताकर अवैध वसूली छलपूर्वक करते हुए अपने आपको जीएसटी अधिकारी बताते हुए अवैध वसूली में 50,000 रु मांगे गये। सुरेश चन्द्र द्वारा पूर्व सांसद जी श्री गंगाचरन जिनके यहाँ सामान जा रहा था उनके द्वारा जनपद के जीएसटी अधिकारियों से चेकिंग के बारे में पूछताछ की गयी। जीएसटी अधिकारी दुर्गा प्रसाद राज्यकर अधिकारी हमीरपुर के द्वारा तत्काल उक्त चेकिंग के बारे में बाइपास पर चेक किया गया तो वहां पर किसी जीएसटी अधिकारी द्वारा कोई चेकिंग होना नहीं पाया गया। उसके पश्चात् श्री दुर्गा प्रसाद जी द्वारा ड्राइवर से फोनकर पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि मुझे बोलेरो गाड़ी में सवार 4 -5 लोगों ने मेरी गाड़ी को रोककर मुझे बताया कि हम जीएसटी अधिकारी हैं और 50,000 रु की मांग की गयी थी। नया बेतवा पुल चन्दौलीतीर गोल चक्कर के पास मुझे रोका था। विवेचना में ज्ञात हुआ कि फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर जिस व्यक्ति द्वारा सुरेश चन्द्र को कॉल की गयी थी वह व्यक्ति ट्रक मालिक के नंबर से लगातार संपर्क में था, ट्रक मालिक के द्वारा ही ईवी बिल वाट्सएप्प पर भेजा गया था। जिसके द्वारा भोला अपने साथियों के साथ मिलकर भाड़ा स्वामी के साथ जीएसटी अधिकारी बनकर छलपूर्वक अवैध वसूली को अंजाम दे रहा था। उक्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी में फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए हैं जिनका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में किया जाता है। कृष्णा एवं सागर जो अभी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है एवं इनके द्वारा पूर्व में कितने लोगों के साथ में अवैध वसूली/ठगी की घटना की गयी है इस सम्बन्ध में विस्तृत जाँच प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. भोला यादव उर्फ सनी पुत्र दूधनाथ यादव उम्र 25 वर्ष निवासी मो0 कोइंदी गोसांई पट्टी थाना तंपुहीराज जिला कुशीनगर
2. अमन यादव पुत्र शेषनाथ यादव उम्र करीब 19 वर्ष निवासी उपरोक्त
3. महेश पाण्डेय पुत्र स्व0 भागवत प्रसाद पाण्डेय निवासी लालकुआं सफदलबाग चारबाग लखनऊ
4. दिनेश सिंह पुत्र योगेन्द्र प्रताप सिंह उम्र 48 वर्ष निवासी रूपपुर शिवनगर खदरा थाना हसनगंज जनपद लखनऊ

फरार अभियुक्तगण –

1. सागर पुत्र दूधनाथ यादव निवासी मो0 कोइंदी गोसांई पट्टी थाना तंपुहीराज जिला कुशीनगर
2. कृष्णा पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी बेरिया गाजीपुर थाना तमकुईराज जनपद कुशीनगर

अभियुक्त भोला यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 03/17 धारा 147/452/323/427/504/506 थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

पुलिस टीम-

उ0नि0 रमाकान्त शुक्ला (थाना कोतवाली नगर)	उ0नि0 के0डी0 त्रिपाठी (प्रभारी सर्विलांस)
उ0नि0 सचिन सारस्वत (एसओजी प्रभारी)	उ0नि0 सुरेन्द्र पटेल (थाना कोतवाली नगर)
हे0का0 शिवेन्द्र एसओजी (एसओजी)	हे0का0 हरचरन (थाना कोतवाली नगर)
का0 सुरेन्द्र मिश्रा (एसओजी)	का0 अतुल कुमार(एसओजी)
का0 रवि पेटल (सर्विलांस)	10. का0 कृष्ण कुमार गुप्ता (सर्विलांस)
11. का0 हरदीप (थाना कोतवाली नगर)	12. का0 आशीष (थाना कोतवाली नगर)
13. का0 अनुज (थाना कोतवाली नगर)	